ए.

हरियाणा पर्यटन लिमिटेड बनाम.

मेसर्स कंधारी बीवरेजेस लिमिटेड (2022 की सिविल अपील संख्या 266)

11 जनवरी, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।34 और 37-यू/एस शक्तियों का प्रयोग।37 – अपील यू/एस में उच्च न्यायालय का दायरा।37 मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय-अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-अपील द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए कहा गया:एक पुरस्कार को तभी अलग किया जा सकता है जब यह भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो-पुरस्कार को यू/एस. एस. के तहत अलग किया जा सकता है। 34/37, यदि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति; या भारत के हित; या न्याय या नैतिकता के विपरीत पाया जाता है; या यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है-उपरोक्त अपवादों में से कोई भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है-अपील यू/एस में।37, उच्च न्यायालय ने दावे के गुणागुण में प्रवेश किया जो अनुज्ञेय नहीं है-इसने यू/एस के तहत अपील का फैसला किया।37 मानो वह निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील का फैसला कर रहा था-उच्च न्यायालय ने उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो उसमें निहित नहीं था।37– उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया-मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यू/एस द्वारा पारित आदेश।34 आपत्तियों को निरस्त करना बहाल किया जाता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 266

2022.

2015 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. No.1399 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।बी. के. सतीजा, हिमांशु सतीजा, सुश्री नेहा मेहता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

कंवल चौधरी, बिमलेश कुमार सिंह, राजीव कुमार गुप्ता, जोगिंदर मान, हार्दिक अहलूवालिया, सुश्री उर्वी काशीवाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

316

317

हरियाणा पर्यटन लिमिटेड बनाममेसर्स कंधारी बेवरेज लिमिटेड।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2015 के एफ. ए. ओ. संख्या 1399 (ओ. एंड. एम.) में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (संक्षेप में, 'मध्यस्थता अधिनियम') के तहत दी गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और मध्यस्थ द्वारा पारित किए गए आदेश के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय-अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश, मूल दावेदार-उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

कि इसमें अपीलकर्ता-हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड (संक्षेप में, 'निगम') ने अपने पर्यटक परिसरों में 15.05.2001 से 14.05.2002 की अवधि के लिए वातित शीतल पेय की आपूर्ति के लिए निविदाएं/उद्धरण आमंत्रित किए हैं।प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निविदा को निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।समझौते के अनुसार, प्रतिवादी-कंपनी को रुपये की राशि का भुगतान करना था। ब्रांड संवर्धन के लिए 20 लाख रुपये, जिसे दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के अनुसार खर्च करने की आवश्यकता थी।

2.1 कि निगम ने 1 जुलाई, 2001 को आम मेला आयोजित किया था।निगम ने रुपये की राशि खर्च की। 1 लाख।दोनों पक्ष संगीतमय रात्रि आयोजित करने पर सहमत हुए।यहाँ प्रत्यर्थी के अनुसार, इसने रु। 13.92 लाख।हालाँकि, अपीलार्थी-निगम ने प्रत्यर्थी को 20.09.2001 दिनांकित पत्र के माध्यम से रु। प्रायोजन राशि के रूप में 19 लाख। अपीलार्थी ने 17.01.2002 दिनांकित पत्र के माध्यम से अनुबंध को समाप्त कर दिया।दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।यह मामला एकमात्र मध्यस्थ को भेजा गया था।

2.2 निर्णय dated17.11.2005 के माध्यम से, मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 9. 5 लाख।प्रत्यर्थी द्वारा रुपये का दावा करते हुए दायर किया गया जवाबी दावा। 13.92 लाख को मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके बाद प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष आपत्ति याचिका दायर की।दिनांक 25.09.2014 के आदेश के माध्यम से, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील/आपत्ति याचिका को खारिज कर दिया।

जी.

एच.

2.3 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील/आपत्ति याचिका को खारिज करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की अपील को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दावे के गुण-दोष में प्रवेश करके उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय के साथ-साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदार-निगम ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. इसमें अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. सतीजा और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कंवल चौधरी उपस्थित हुए हैं।

3.1 अपीलार्थी-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. सतीजा ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुरस्कार को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द करते हुए और रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय का दायरा और/या अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में, उच्च न्यायालय को मध्यस्थ द्वारा दिए गए दावे के गुण-दोष में प्रवेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसकी पुष्टि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अपील का निर्णय इस तरह किया है जैसे कि उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ पहली अपील का निर्णय ले रहा था, जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय अनुज्ञेय नहीं है।

जी.

3.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

एच.

319

हरियाणा पर्यटन लिमिटेड बनाममेसर्स कंधारी बेवरेज लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कंवल चौधरी ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वान मध्यस्थ के

पास पुरस्कार पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि कोई राशि देय और देय नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी-निगम द्वारा विपणन गतिविधियों पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया था।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना के साथ-साथ एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति अनुबंध के खंड 13 के अनुसार नहीं थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति और उसकी क्षमता को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे संक्षेप में खारिज कर दिया गया था।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया जा सकता है जिसे पुरस्कार पारित होने के बाद भी उठाया जा सकता है।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा अपीलार्थी-निगम द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गई थी, अपीलार्थी-निगम को किसी भी भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने रुपये का दावा करते हुए एक जवाबी दावा दायर किया। 13.92 लाख जो दुर्भाग्य से मध्यस्थ द्वारा अस्वीकार कर दिए गए।

4.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को भी देख चुके हैं।

6. जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का संबंध है, उसी पर उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया है और उक्त आपत्ति को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसके खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा कोई अपील नहीं की जाती है।मामले के उस दृष्टिकोण में, अब यह प्रत्यर्थी के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है, वह भी मूल दावेदार-निगम-अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई अपील में।

जी.

7. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और पुरस्कार को रद्द करने और रद्द करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थता

अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के गुण-दोष में प्रवेश किया है।

एच.

दावा, जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अनुज्ञेय नहीं है।

8. इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में निर्धारित कानून की स्थिर स्थिति के अनुसार, एक पुरस्कार को केवल तभी अलग किया जा सकता है जब पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो।पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम की धाराओं के तहत अलग रखा जा सकता है, यदि पुरस्कार (ए) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (बी) भारत के हित; या (सी) न्याय या नैतिकता; या (डी) यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है।उपरोक्त अपवादों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।उच्च न्यायालय ने दावे के गुण-दोष में प्रवेश किया है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील का फैसला किया है जैसे कि उच्च न्यायालय विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील का फैसला कर रहा था।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, आपत्तियों को खारिज करते हुए, एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

10. वर्तमान अपील को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।कोई लागत नहीं।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.